



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273870  
CG-DL-E-27062026-273870

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]  
No. 170]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948  
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

मामला संख्या: – एडी (ओआई)-034/2026

विषय: चीन PR से "सोडियम नाइट्राइट" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच शुरू करना।

1. फा.सं. 6/34/2026- डीजीटीआर.— समय-समय पर संशोधित कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 (जिसे आगे 'एक्ट' कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित कस्टम्स टैरिफ (एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान, मूल्यांकन और वसूली के नियम, 1995) (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ('DNL') (जिसे आगे 'आवेदक' कहा जाएगा) ने चीन PR (जिसे आगे 'संबंधित देश' कहा जाएगा) से "सोडियम नाइट्राइट" (जिसे आगे "संबंधित सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" कहा जाएगा) के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग ड्यूटी जांच शुरू करने के लिए नामित प्राधिकरण (जिसे आगे 'प्राधिकरण' कहा जाएगा) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि चीन से संबंधित सामान के डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है और उसने संबंधित देश से इन सामानों के आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया है।

**(क) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

3. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, वह "सोडियम नाइट्राइट" (SNI) है।
4. SNI एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ठोस या लिक्विड रूप में बेचा जाता है। इसका कोई दूसरा केमिकल नाम नहीं है। यह सफ़ेद से हल्के पीले रंग का क्रिस्टल जैसा पाउडर, दानेदार, परतदार या ब्रिकेट जैसा ठोस होता है जो पानी में आसानी से घुल जाता है और नमी सोखने वाला (हाइग्रोस्कोपिक) होता है, लेकिन आम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलता।
5. इस प्रोडक्ट को कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के चैप्टर 28 के तहत सब-हेडिंग 28341010 में रखा गया है। कस्टम्स क्लासिफिकेशन सिर्फ़ जानकारी के लिए है और यह इस प्रोडक्ट के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. इस प्रोडक्ट को मापने की तय यूनिट मीट्रिक टन (MT) या किलोग्राम (Kg) है।
7. इस जांच में शामिल पक्ष, जांच शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर PUC/PCN कार्यप्रणाली के दायरे (यदि कोई हो) पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

**(ख) समान वस्तु**

8. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा बनाए गए सामान और संबंधित देश से एक्सपोर्ट किए गए सामान में कोई अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट और संबंधित देश से इम्पोर्ट किया गया प्रोडक्ट कई मामलों में एक-दूसरे के बराबर हैं, जैसे कि फिजिकल विशेषताएं, बनाने की प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी, काम और इस्तेमाल, प्रोडक्ट की खासियतें, कीमत, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, और संबंधित सामान का टैरिफ क्लासिफिकेशन। ये दोनों तकनीकी और कमर्शियल तौर पर एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्राहक इन दोनों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर रहे हैं। इसलिए, इस जांच को शुरू करने के मकसद से, घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए संबंधित सामान को, संबंधित देश से बनाए और इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट के "समान वस्तु" (like article) के तौर पर माना जा रहा है।

**(ग) संबंधित देश**

9. यह जांच चीन (PR) से विचाराधीन उत्पाद की कथित डंपिंग के संबंध में है।

**(घ) जांच की अवधि**

10. आवेदक ने 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 महीने) की अवधि को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। हालाँकि, अथॉरिटी ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि को जांच की अवधि माना है, जो 12 महीने की अवधि है। नुकसान की अवधि 2022-23, 2023-24, 2024-25 और POI शामिल हैं।

**(ङ) घरेलू उद्योग और स्थिति**

11. कस्टम टैरिफ (एंटी-डंपिंग कर्तव्य की पहचान, अवशेष और नुकसान का प्रदर्शन) नियम, 1995 का नियम 2(बी) घरेलू उद्योग को इस प्रकार दर्शाया गया है: -

*"घरेलू उद्योग" का मतलब है वे घरेलू उत्पादक जो कुल मिलाकर वैसी ही वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हैं, या जिनका उस वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय तब जब ऐसे उत्पादक कथित तौर पर डंप की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से जुड़े हों या खुद उसके आयातक हों—ऐसे मामलों में "घरेलू उद्योग" का अर्थ बाकी उत्पादकों से माना जा सकता है।*

12. यह आवेदन दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ('DNL') द्वारा दायर किया गया है। कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस आवेदन का समर्थन किया है।
13. आवेदक ने भारत के अन्य उत्पादकों के बारे में जानकारी दी है। आवेदक और समर्थक के अलावा, भारत में तीन अन्य उत्पादक हैं – a) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड b) पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड c) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आवेदक ने यह दिखाने के लिए सबूत पेश किए हैं कि राष्ट्रीय केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने SNI सहित कई औद्योगिक रसायनों का उत्पादन बंद कर दिया है, क्योंकि यह काम फायदेमंद नहीं रहा और सस्ते आयात की वजह से ऐसा हुआ।
14. आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसका संबंधित देश के किसी निर्यातक या संबंधित सामान के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।
15. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक नियम 2(b) के तहत घरेलू उद्योग की परिभाषा में आता है। यह आवेदन नियम 5(3) के तहत 'स्टैंडिंग' (पात्रता) की शर्तों को पूरा करता है।

**(च) कथित डंपिंग का आधार**

**क. सामान्य मूल्य।**

16. आवेदक ने चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) का हवाला दिया है और यह दावा किया है कि चीन पीआर को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों को यह दिखाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि उत्पाद और बिक्री के मामले में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह नहीं दिखाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलित हैं, उनके साधारण मूल्य को एंटी-डंपिंग नियमों की परिशिष्ट- I की धारा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
17. आवेदक ने बताया कि उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि जिस उत्पाद पर विचार किया जा रहा है, उसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इन देशों के उपभोक्ताओं को किस कीमत पर बेचा जा रहा है (यानी घरेलू मूल्य) या तीसरे देश में उत्पादन की लागत क्या है। वास्तविक बिक्री मूल्य का कोई सत्यापित सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। आवेदक ने यूरोपीय संघ से आयात की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ से होने वाले आयात की मात्रा महत्वपूर्ण है और यह पूरे हानि अवधि में फैली हुई है। चूंकि यह कीमत CIF एक्सपोर्ट प्राइस है, इसलिए इसे समुद्री फ्रेट, समुद्री बीमा, पोर्ट हैंडलिंग चार्ज, क्रेडिट लागत और इन्वेंटरी रखने की लागत जैसे खर्चों के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। हालांकि, शुरुआत के लिए, DG सिस्टम्स के ट्रांज़ैक्शन वाइज डेटा पर भरोसा किया गया है, जो दिखाता है कि पीओआई के दौरान यूरोपीय संघ से आयात केवल कुल आयात का 1% है। चूंकि यूरोपीय संघ से आयात मात्रा में बहुत कम है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
18. चूंकि सामान्य मूल्य किसी अन्य विधि के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए सामान्य मूल्य भारत में भुगतान किए गए या देय मूल्य के आधार पर उचित बिक्री और प्रशासनिक खर्च और भारत में मुनाफे के समायोजन के साथ निर्धारित किया गया है। इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सुझाव प्रस्तुत करें और सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली विधि के संबंध में उचित रूप से सबूतों के साथ दावे प्रस्तुत करें।

**ख. निर्यात कीमत**

19. विचाराधीन प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट प्राइस, DG सिस्टम डेटा में बताई गई CIF प्राइस को ध्यान में रखकर तय की गई है। इसमें समुद्री माल-भाड़े, समुद्री बीमा, हैंडलिंग चार्ज, पोर्ट हैंडलिंग चार्ज, कमीशन और क्रेडिट कॉस्ट के लिए एडजस्टमेंट किए गए हैं।

**ग. पाटन मार्जिन**

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फ़ैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि डंपिंग मार्जिन 'डी-मिनिमिस' (न्यूनतम) स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से निर्यात किए जा रहे उत्पाद के मामले में यह काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाज़ार में संबंधित देश के उत्पाद की डंपिंग की जा रही है।

**(छ) क्षति और कारणात्मक संबंध**

21. आवेदकों ने डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के संबंध में प्रथम दृष्टया सबूत दिए हैं। संबंधित देश से होने वाले आयात की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष, दोनों ही तरह से वृद्धि हुई है। यह आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर हो रहा है और उनकी कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आवेदक का दावा है कि उत्पादन और बिक्री के मामले में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है। संबंधित आयात का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप POI (जांच की अवधि) में नुकसान, नकद नुकसान और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न हुआ है।
22. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि संबंधित देश से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है।

**(ज) जांच की शुरुआत**

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और डंपिंग तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को साबित करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सबूतों से संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकरण एतद्वारा अधिनियम की धारा 9A और नियमों के नियम 5 के अनुसार, कथित डंपिंग और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुए महत्वपूर्ण नुकसान की एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है। इसका उद्देश्य कथित डंपिंग के अस्तित्व, सीमा और प्रभाव का पता लगाना और डंपिंग शुल्क की उस राशि की सिफारिश करना है, जिसे लागू करने पर घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

**(झ) प्रक्रिया**

24. इस जांच में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 में बताए गए प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

**(ञ) सूचना की प्रस्तुति**

25. सभी संबंधित पक्षों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए जाने वाले सभी पत्राचार और अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संबद्ध मामले: **एडी/ओआई/011/2026** के अंतर्गत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सल प्रारूप में हों।
26. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से, तथा भारत में उन आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जिनका विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध होना ज्ञात है, अलग से सूचित किया जा रहा है; ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी उसी प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए, जैसा कि इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित किया गया है।

27. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी, इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों में निर्धारित प्रारूप और तरीके से, तथा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध दे सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उसी प्रस्तुति का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।
29. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए, व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नज़र रखें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में होने वाले आगामी घटनाक्रमों से अवगत रहने के लिए, तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन कार्यप्रणाली, पीसीएन चर्चा/ बैठक की समय अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से नज़र रखें।

#### (ट) समय सीमा

30. इस जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी SETU पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर रजिस्टर्ड नाम और संबंधित केस AD (OI)-034/2026 के तहत अपलोड की जानी चाहिए। हर सबमिशन के दोनों वर्शन - कॉन्फिडेंशियल वर्शन (CV) और नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन (NCV) - को तय कॉलम में अपलोड करना ज़रूरी है। यह काम उस तारीख से 37 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए जब अथॉरिटी घरेलू इंडस्ट्री द्वारा दायर एप्लीकेशन का नॉन-कॉन्फिडेंशियल वर्शन सेतु पोर्टल पर सर्कुलेट करे या AD रूल्स, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार एक्सपोर्ट करने वाले देश के संबंधित डिप्लोमैटिक प्रतिनिधि को भेजे। अगर तय समय सीमा के भीतर कोई जानकारी नहीं मिलती है या मिली जानकारी अधूरी है, तो अथॉरिटी रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और AD रूल्स, 1995 के अनुसार अपनी फाइलिंग्स दर्ज कर सकती है।
31. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और इस नोटिफिकेशन में बताई गई समय सीमा के भीतर केवल SETU पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्नावली (questionnaire) के जवाब फाइल करें।
32. PUC/PCN मेथोडोलॉजी के दायरे पर कमेंट्स फाइल करने के लिए 15 दिन की अवधि, इस शुरुआती नोटिफिकेशन के पैरा 30 में बताई गई समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
33. PUC/PCN में बदलाव के कारण समय बढ़ाना: अगर अथॉरिटी बाद के नोटिस के माध्यम से PUC और PCN में बदलाव करती है - जो पहले प्रस्तावित नहीं थे या शुरुआती नोटिफिकेशन से अलग हैं - तो 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह 15 दिन का अतिरिक्त समय बदले हुए PUC और PCN के ऐसे नोटिफिकेशन की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताया गया 15 दिन का अतिरिक्त समय उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद PUC और PCN मेथोडोलॉजी में कोई बदलाव नहीं होता है। AD रूल्स के नियम 7(4) के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिन के अतिरिक्त समय (यदि दिया गया हो) से आगे और समय बढ़ाने के अनुरोधों पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. समय-सीमा बढ़ाने के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से, ऊपर पैराग्राफ 30 में बताई गई मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले जमा किया जाना चाहिए। इस समय के बाद जमा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**(ठ) गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति**

35. जहां इस जांच में कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतियां करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुरूप, ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ भी साथ ही प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

36. जो पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (जिसमें उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक भी शामिल हैं) करते हैं, जिसमें प्रश्नावली के उत्तर भी शामिल हैं, तो उन्हें गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना आवश्यक है।

37. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” के रूप में अंकित होना चाहिए। प्राधिकारी को किया गया कोई भी अनुरोध जिस पर ऐसा अंकन नहीं है, उसे प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” जानकारी माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. गोपनीय पाठ में वह समस्त जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस जानकारी के बारे में गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, उस जानकारी के प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ एक उचित कारण विवरण भी देना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की ही एक प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित किया गया हो या हटा दिया गया हो (जहां अनुक्रमण संभव न हो), और ऐसी जानकारी को, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए।

40. अगोपनीय सारांश इतना विस्तृत होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के मूल तत्व की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश बनाना संभव नहीं है; ऐसे में, नियमावली, 1995 के नियम 8 के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिसों के अनुरूप, कारणों का एक विवरण जिसमें कि पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण हो कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

41. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के वितरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए दावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

42. प्राधिकारी, प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने के बाद, गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है, या यदि जानकारी प्रदान करने वाला पक्षकार या तो जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है, अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं करना चाहता है, तो प्राधिकारी ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकते हैं।

43. कोई भी ऐसा अनुरोध, जिसके साथ में उसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ संलग्न न हो, अथवा नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के संबंध में कोई पर्याप्त और उचित कारण का विवरण प्रस्तुत न किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा।
44. प्राधिकारी, प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के उपरांत, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, उसे किसी भी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

**(ड) सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

45. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

**(ढ) असहयोग**

46. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या पत्राचार के माध्यम से प्रदान की गई आगे की समय अवधि के भीतर जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

**Case No. AD (OI)-034/2026**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Sodium Nitrite” from China PR.**

1. **F. No. 6/34/2026-DGTR.**— Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty Rules, 1995) as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), Deepak Nitrite Limited (‘DNL’) (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of an anti-dumping duty investigation concerning imports of “Sodium Nitrite” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) from China PR (hereinafter referred to as subject country).
  2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from China PR are causing material injury to the domestic industry and has requested for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
- A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)**
3. The product under consideration is “Sodium Nitrite” SNI.
  4. SNI is an industrial chemical sold in solid or liquid form. It does not have any other chemical names. It is a white to slightly yellowish crystalline powder or granular or flake or briquette solid that is very soluble in water and is hygroscopic, but not soluble in standard organic solvents.

5. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 28341010. The customs classification is indicative and not binding on the scope of the product under consideration.
6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).
7. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the scope of PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

**B. LIKE ARTICLE**

8. The applicant has submitted that there is no difference in the goods produced by the applicant and exported from the subject country. The product produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the subject goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as “like article” to the product under consideration produced and imported from the subject country.

**C. SUBJECT COUNTRIES**

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

**D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

10. The applicant has proposed the period of 1st April 2025 to 31st December 2025 (9 months) as period of investigation (POI). However, the Authority has considered POI from 1st April 2025 to 31st March 2025, which is a 12-month period. The injury period covers the period of 2022-23, 2023-24, 2024-25 and POI.

**E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

11. Rule 2(b) of customs tariff (identification, assessment and collection of antidumping duty on dumped articles and for determination of injury) rules, 1995 defines domestic industry as under: -

*“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the “domestic industry” may be construed as referring the rest of the producers.*

12. The application has been filed by Deepak Nitrite Limited (‘DNL’). Kutch Chemical Industries Limited has supported the application.
13. The applicant has provided the details of the other Indian producers. Apart from the applicant and the supporter, there are three other producers in India – a) National Fertilizers Limited b) Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Limited c) Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited. The applicant has submitted evidence to show that Rashtriya Chemical Industries Limited shut down its production of several industrial chemicals including SNI, due to unviability and cheap import.
14. The applicant has certified that it is neither related to any exporter in the subject country nor importer of the subject goods.
15. Based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

**F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

**a. Normal value.**

16. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to production and sale of the product under consideration. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules.
17. The applicant has submitted that they attempted to get evidence of the price at which the product under consideration is being sold by the producers in a market economy third country to the consumers in these countries (i.e., domestic price) or cost of production in the market economy third country. No verifiable evidence of the actual selling price was publicly available. The applicant has determined the normal value based on the import price from European Union. The applicant has claimed that the imports from European Union are in

significant quantity and spread over the entire injury period. Since the price is a CIF export price, the same has been adjusted for the expenses including ocean freight, marine insurance, port handling charges, credit costs and inventory carrying costs. However, for the purpose of the initiation, the DG Systems transaction wise data has been relied upon which shows that imports from European Union during POI have only 1% share in total imports. Since the imports from European Union are insignificant in volume, therefore, the same cannot be relied upon.

18. Since the normal value cannot be determined based on any other methodology, accordingly, the normal value has been determined based on the price paid or payable in India with reasonable adjustments for selling and administrative expenses and profit in India. The interested parties are advised to offer their comments and make duly substantiated claims with regard to methodology to be adopted for determination of normal value.

#### **Export Price**

19. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port handling charges, commission, credit cost.

#### **b. Dumping Margin**

20. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence to show that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

#### **G. INJURY AND CAUSAL LINK**

21. The applicant have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as relative terms. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and having depressing effect on their prices. The applicant has claimed that their performance has deteriorated in respect of production and sales. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry resulting into losses, cash losses and negative return on investment in the POI.
22. The information provided by the applicant *prima facie*, shows injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject country.

#### **H. INITIATION OF THE INVESTIGATION**

23. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **I. PROCEDURE**

24. The provisions stipulated in Rule 6 of the anti-dumping rules shall be followed in this investigation.

#### **J. SUBMISSION OF INFORMATION**

25. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded onto the SETU portal under their registered name and corresponding case **AD (OI)-034/2026**. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
26. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
27. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

28. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
29. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications and other such information.

**K. TIME LIMIT**

30. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case **AD (OI)-034/2026**. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority in SETU portal or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
31. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
32. The 15-day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 27 above of this initiation Notification.
33. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for further extension of time beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 7(4) of the AD Rules.
34. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 27 above. Requests submitted after this time will not be considered.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

35. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
36. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
37. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
38. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
39. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

40. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
41. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
42. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
43. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
44. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

45. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**N. NON-COOPERATION**

46. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority